न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 12/2019

निर्णय दिनांक :- 16.02.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रोजी पुत्री मांगीलाल गुर्जर निवासी- गुजरिया खेड़ा हाल मुकाम पीपावास तहसील- रेलमगरा (राजसमन्द)		1. भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार भूपालसागर

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है -

1. यह है कि ग्राम गुजरिया खेड़ा तहसील भूपालसागर की राजस्व सीमा में में ख०नं० 1349/802 रकबा 2.13 हैक्ट० आयी हुई है। जातू जमाबंदी में प्रार्थिया का नाम संयुक्त खाते में रोजी पुत्री मांगीलाल के नाम से दर्ज है। जिसको आगे प्रार्थना-पत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है।

2. यह है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से रोजी की जगह रोजी कर दिया गया जबकि अन्य दस्तावेजों, रेकर्ड में प्रार्थिया का शुद्ध नाम रोजी बाई अंकित है। जिसको प्रार्थिया दुरुस्त करवाने की अधिकारी है। दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम चुनाव पहचान पत्र आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं राशन कार्ड में रोजी बाई अंकित है, अतः इन्ही आधार पर प्रार्थिया का नाम [illegible] रेकर्ड में रोजी बाई अंकित कराया जाना आवश्यक [illegible]

[illegible] तहसीलदार भूपालसागर

को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भूपालसागर [illegible] प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि उक्त प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। उक्त प्रार्थना-पत्र में आदेश का

-- लगातार --

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.17 17:26:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जिला [illegible]

Scanned with CamScanner

का नाम रोजी पुत्री मांगीलाल गुर्जर के स्थान पर रैजी पुत्री मांगीलाल गुर्जर किया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी। तत्पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थिया का नाम रोजी पुत्री मांगीलाल गुर्जर के स्थान पर रोजी उर्फ रैजी पुत्री मांगीलाल गुर्जर दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.02.2021

सुखाराम पिण्डेल (R.A.S)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.17 17:26:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner